172

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 593—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—01—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 107/अ—6/2012—13

.....

वसीर खॉ पुत्र श्री लाल खॉ
निवासी—ग्राम जनकपुर, तहसील व जिला—पन्ना
म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— अनिल गुप्ता पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता
2— पवन जैन पुत्र श्री खुशाल जैन,
3— सौरभ गुप्ता पुत्र श्री जी0एस0 गुप्ता
निवासी—किशोरगंज मौहल्ला, पन्ना
तहसील व जिला—पन्ना

.....अनावेदकगण

.....

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रदीप खरे एवं श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-10-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—01—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जनकपुर स्थिति विवादित भूमि खसरा नं0 67/1 के जुज रकबा 2.00 हैक्टयर पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1980—81 के पूर्व से होने के कारण एवं उसके भूमि हीन होने के कारण तहसीलदार पन्ना द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ—19(ब)/1984—85 में पारित आदेश दिनांक 02.12.1985 द्वारा विधिवत रूप से आवंटन किया गया था । आवेदक को जो भूमि खसरा नं0 67/1 प्राप्त हुई थी उसका बंटाकन तहसीलदार पन्ना द्वारा न्यायालय प्रकरण कमांक 784/बी—121/96—87 में पारित

आदेश दिनांक 23.04.1987 के अनुसार बंटाकन किया गया था। उक्त बटांकन के आदेशानुसार पटवारी द्वारा अभिलेख में प्रविष्टी किये जाने का आदेश दिया गया था. परन्तु अभिलेख में प्रविष्टी न किये जाने के कारण आवेदक द्वारा संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत कर तहसील न्यायालय को अवगत कराया कि उसका बटांकन कर दिया गया है, इसलिये उसे राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाये, एवं ट्रेस नक्शे पर लाल स्याही से तरमीम की जायें। तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 28/अ–6–अ/1996–97 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 21.07.1997 के अनुसार लाल स्याही से तरमीम करने के आदेश पारित किये गये । जिसमें श्याम बिहारी आदि द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 30.05.2000 को खारिज की जाकर आवेदक के पक्ष में तरमीम की पुष्टि की गई। श्याम बिहारी आदि द्वारा जिसका भूमि खसरा क0 37/2 है। उन्होंने आवेदक के विरूद्ध तरमीम आदेश, सीमांकन आदेश एवं संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की गई जो कि निरस्त हुई । श्याम बिहारी आदि द्वारा उक्त भूमि दिनांक 21.06.2011 को वर्तमान अनावेदकगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी । अनावेदकगण द्वारा दिनांक 21.07.1997 के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 द्वारा अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें प्रकरण क्रमांक 107/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2014 से निरस्त कर दी गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना एवं अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा जो आदेश पारित किये है वह अवैध व अनुचित है । तहसीलदार पन्ना द्वारा जो आदेश दिनांक 21.07.97 को पारित किया था, वह अंतिम आदेश नहीं था, बल्कि तहसीलदार पन्ना द्वारा पूर्व पारित बंटाकन आदेश दिनांक 23.04.97 का अमल था। ऐसी स्थिति में जो कार्यवाही एवं अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वह प्रचलन योग्य ही नहीं थी। राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का वैधानिक कर्त्तव्य है कि वह राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखें। इस प्रकरण में तहसीलदार पन्ना द्वारा जो आदेश दिनांक 23.04.87 को पारित किया गया था, उसका अमल राजस्व अभिलेख में तत्समय नहीं किया गया था, जिसमें आवेदक का

कोई दोष नहीं था, बल्कि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की त्रुटि से कार्यवाही हुई थी। इसलिये आवेदक द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.97 द्वारा स्वीकार किया जाकर, राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किया गया था, ऐसे में अमल किये जाने के आदेश को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है । विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नहीं थीं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी । अपीलीय न्यायालय को चाहिये था कि वह सर्व प्रथम उपरोक्त प्रश्नों का निराकरण कर प्रकरण में आदेश पारित करते, किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त वैधानिक प्रश्नों का निराकरण किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितांत अवैध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व प्रकरण क्रमांक 66/अ–12/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2001 को कराया गया था, जिसके विरूद्ध श्याम बिहारी द्वारा अपील कलेक्टर, जिला पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सीमांकन आदेश को बहाल रखा गया था । तत्पश्चात धारा 250 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के समक्ष प्रकरण 50/अ–70/2004–05 में की गई थी, वह आदेश दिनांक 05.05.2006 को खारिज हुई थी। इस प्रकार उपरोक्त आदेश श्यामबिहारी पर बंधनकारी थे और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो भूमि विक्रय की गई है, उसे प्राप्त करने वाले केता पर भी उक्त आदेश बंधनकारी होगें। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील में यह आधार लिया गया था कि जो तरमीम आदेश दिनांक 21.07.97 को पारित किया गया, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है , जबकि वास्तविकता यह है कि अनावेदकगण के पूर्व भूमिस्वामी तरमीम की कार्यवाही एवं सीमांकन की कार्यवही में उपस्थित थे और उन्हें इन सबकी विधिवत जानकारी थी। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती केताओं द्वारा यह कहा जाना कि उन्हें उक्त आदेश की जानकारी नहीं है क्योंकि केताओं को वही अधिकार प्राप्त होते है, विकेताओं को है। इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेश है, वह अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषकगण द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि खसरा नं0 67/2 पूर्व से तरमीम था तथा पूर्व भूमि स्वामी पटटे के समय से ही काविज थे। आवेदक द्वारा अनावेदकगण के स्वामित्व व कब्जे की भूमि में नक्शा संशोधन अनावेदकगण को सूचना दिये

गैर कराया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है। अनावेदकगण द्वारा विवादित भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है तथा आवेदक उसके स्वामित्व व कब्जे की भूमि को हड़पना चाहता है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे, तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जावें।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार पन्ना के यहां पर एक आवेदन आवेदक बशीर खां ने तरमीम सुधार के लिये प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय में विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा इश्तहार का प्रकाशन किया गया । आपत्तियां आमंत्रित की गई, तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां पेश की गई, जिसमें अनुविभागीय ने विचारण न्यायालय में आये साक्ष्य, पटवारी, राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदनों पर विवेचना कर तरमीम का नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया । इस सभी बिन्दुओं की विवेचना उपरातं अनुविभागीय अधिकारी ने प्ररकण में जो आदेश पारित किया, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल है और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने आदेश में की गई है । **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण मान0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं "**

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 107/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2014 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर